न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–144/2022

चन्द्रवंश नारायण सिंह.....वादी

बनाम

रघुवंश नारायण सिंह एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
24.05.2023	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। अभिलेख वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 21.01.2023 अंतर्गत आदेश 26 नियम 9 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत दाखिल आवेदन के आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादी का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद इस न्यायालय में चल रहा है। वादी के द्वारा वादपत्र के मद न0–01 में वादग्रस्त भूमि का पूर्ण विवरण दिया गया है जो न्यायालय परिसर से करीब 5 किलोमीटर दूर है तथा वहाँ जाने के लिए सड़क परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिवादी द्वितीय पक्ष द्वारा वादग्रस्त भूमि की वर्तमान वस्तु स्थिति को बदलने का प्रयास किया जा रहा है तथा विवाद के कारण स्थानीय पुलिस के द्वारा दफा 107 दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा दफा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही की अनुशंसा की गयी है। अतः वादी के द्वारा वादग्रस्त भूमि की यथास्थिति पूर्वत बनाये रखने हेतु आवेदन दिया गया है। वादग्रस्त भूमि की वर्तमान स्थिति अभिलेख पर रहना न्यायहित में जरूरी है। अतः अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति कर वादग्रस्त भूमि की वर्तमान वस्तु स्थिति तलब किया जाना विधि सम्मत है। वादी अधिवक्ता आयुक्त का शुल्क वहन करने को तैयार है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादी का आवेदन स्वीकार कर अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त करने की कृपा करे। प्रतिवादी सं0–02 ता 04 की ओर से दिनांक 12.04.2023 को वादी के आवेदन का प्रत्युत्तर दाखिल किया गया तथा कहा गया कि वादी का आवेदन पोषणीय नही है बल्कि खारिज योग्य है। वादी विशिष्ट रूप से वादपत्र में विवादित भूमि की यथास्थिति की विवरण नही दिया है। किसी भी पक्षकार को विवादित भूमि के संबंध में साक्ष्य इक्कठा करने हेतु कानून को हथियार के रूप में प्रयोग करने की इजाजत नही देता है। अतः आवेदन खारिज होने योग्य है।	

न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–144/2022

लगातार 24.05.2023	उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद संविदा के विर्निदृष्ट अनुपालन हेतु लाया गया है। वाद लंबन के दौरान वादग्रस्त भूमि का संरक्षण करना न्यायालय का प्रथम कर्तव्य है। ऐसी दशा में वादग्रस्त भूमि की वर्तमान में वस्तु स्थिति क्या है? इस संबंध में अधिवक्ता आयुक्त से प्रतिवेदन की माँग किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। वादी अधिवक्ता आयुक्त के खर्चे को वहन करने को तैयार है। अतः वादी का आवेदन दिनांक 21.01.2023 को स्वीकार किया जाता है। तद्नुसार व्यवहार न्यायालय, नरकटियागंज के स्थानीय विद्वान अधिवक्ता श्री लक्ष्मण प्रसाद को अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया जाता है तथा उन्हें आदेशित किया जाता है कि वह वादग्रस्त भूमि की वस्तु स्थिति के संबंध में फोटोग्राफ्स के साथ प्रतिवेदन समर्पित करें। अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति के मद में होने वाला व्यय मो0–2000/– रूपये वादी के द्वारा वहन किया जायेगा। अधिवक्ता आयुक्त को निर्देश दिया जाता है कि वह एक सप्ताह के अंदर अपना प्रतिवेदन न्यायालय में समर्पित करें। वाद दिनांक 08.06.2023 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	